9

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

दावा संख्या 105/2017

श्रीमती इमरती देवी आयु करीब 88 वर्ष पत्नी स्व. मेघसिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तहसील व जिला झुन्झुनू।

—वादी

बनाम

1. सवाई सिंह आयु 65 वर्ष पुत्र भोमसिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तह व जिला झुन्झुनू।
2. बीरबल सिंह आयु 60 वर्ष पुत्र भोमसिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तह व जिला झुन्झुनू।
3. नाहर सिंह आयु 55 वर्ष पुत्र भोमसिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तह व जिला झुन्झुनू।
4. रोहिताश सिंह आयु 45 वर्ष पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तह व जिला झुन्झुनू।
5. सुमेरसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तह व जिला झुन्झुनू।
6. श्रीमती होशियार कंवर आयु 70 वर्ष पत्नी स्व0 रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तह व जिला झुन्झुनू।
7. इन्द्रसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तह व जिला झुन्झुनू।
8. उम्मेदसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तह व जिला झुन्झुनू।
9. देवीसिंह आयु 38 वर्ष पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तह व जिला झुन्झुनू।
10. मोहनसिंह आयु 36 वर्ष पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तह व जिला झुन्झुनू।
11. जयसिहं आयु 35 वर्ष पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तह व जिला झुन्झुनू।
12. दलीप सिंह आयु 28 वर्ष पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तह व जिला झुन्झुनू।
13. सुभाष सिंह आयु 30 वर्ष दत्तक पुत्र स्व. मेघसिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तह व जिला झुन्झुनू।
14. सजनसिंह आयु 80 वर्ष पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत निवासी इंडाली तह व जिला झुन्झुनू।
15. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबंधक।
16. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनू।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया :– वादीया की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी :– राज्य सरकार की ओर से।

झुन्झुनू (राज.)

10

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय   दिनांकः– 23.03.2021

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम इंडाली की सरहद में जमीन गत खसरा नम्बर 35 रकबा 12 बीघा 18 विश्वा थी। जमीन गत खसरा नम्बर 35 के हाल खसरा नम्बर 163 रकबा 1.14 है0, हाल खसरा नम्बर 187 रकबा 0.11 है0, हाल खसरा नम्बर 190 रकबा 0.1 है0, हाल खसरा नम्बर 191 रकबा 0.47 है0, हाल खसरा नम्बर 192 रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम इंडाली वर्तमान पैमाईस में बने। जमीन गत खसरा नम्बर 219 रकबा 10 बीघा 06 बिश्वा व गत खसरा नम्बर 218 रकबा 3 बिश्वा कुआ थी। वर्तमान पैमाईस के पश्चात जमीन गत खसरा नम्बर 219 के हाल खसरा नम्बर 790 रकबा 0.40 है0, हाल खसरा नम्बर 806 रकबा 0.30 है0, हाल खसरा नम्बर 807 रकबा 1.16 है0, हाल खसरा नम्बर 809 रकबा 0.72 है0 व गत खसरा नम्बर 218 के हाल खसरा नम्बर 808 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकिन कुआ वाके ग्राम इंडाली में बने व हैं। ग्राम इंडाली में चिमन सिंह जाति राजपूत नामक व्यक्ति था। उक्त चिमनसिंह का देहान्त सन 1945 में हो गया। चिमनसिंह के तीन पुत्र मेघसिंह, रघुनाथ सिंह व प्रतिवादी नम्बर 14 सज्जन सिंह हुए। चिमनसिंह का सबसे बडा पुत्र मेघसिंह था। उक्त मेघसिंह की पत्नी वादीया है। मेघसिंह दिनांक 26.06.1940 को भारतीय सेना में नायक पद पर पदस्थापित हुआ व दिनांक 20.12.1948 तक भारतीय सेना में नौकरी की व बीमारी के कारण मेघसिंह ने नौकरी छोड़ दी। दिनांक 22.02.1950 को मेघसिंह का निधन हो गया, उस समय मेघसिंह की आयु करीब 28 वर्ष थी। वादीया एवं उक्त मेघसिंह के कोई संतान पैदा नहीं हुई। प्रतिवादी नम्बर 13 सुभाष सिंह, मेघसिंह के भाई रघुनाथसिंह का जायन्दा पुत्र है। उक्तानुसार वादिया के कोई संतान पैदा नहीं हुई तो वादिया ने दिंनाक 14.01.1995 को हिन्दु रीति रिवाज के मुताबिक प्रतिवादी नम्बर 13 को गोद ले लिया। वादीया ने दिनांक 26.06.2008 को उप पंजीयक झुन्झुनू से उक्त गोद पत्र निष्पादित व पंजीबद्ध करवा लिया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 वादिया का दत्तक पुत्र है। चिमन सिंह का पुत्र रघुनाथसिंह का देहान्त सन 2004 में हो गया। उक्त रघुनाथसिंह की पत्नी प्रतिवादीया संख्या 06 व लड़के प्रतिवादी गण नम्बर 7 लगायत 13 हैं। रघुनाथसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 6 से 12 हैं। ग्राम इंडाली में भोमसिंह पुत्र जीवणसिंह नामक व्यक्ति था। उक्त भोमसिंह के लडके प्रतिवादीगण नम्बर 1से 3 व जगमाल हुये। उक्त जगमाल का अविवाहित नाऔलाद देहान्त हो गया। इस प्रकार उक्त भोमसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 3 है। ग्राम इण्डाली में मूलसिह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत नामक व्यक्ति था। उक्त मुलसिंह का लडका प्रतिवादी नम्बर 5 है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र पहले ठिकाना सुलताना ख्याली के तहत की जमीन थी। जमीन गत खसरा नम्बर 35 रकबा 12 बीघा 18 बिश्वा पहले डालु पुत्र चेता जाति जाट ने ठिकाना से काश्त हेतु ली थी। मिसल हकियत सम्वत 1999 में उक्त डालु पुत्र चेता की गैर खातेदारी में दर्ज है। डालू पुत्र चेता यह जमीन स्वंय काश्त नहीं करता था क्योंकि डालू के पास अन्य जमीन थी जिसे डालू

पुत्र चेता काश्त करता था। उक्त जमीन को भोमसिंह पुत्र जीवण सिंह व मूल सिह पुत्र तेजसिंह व उक्त मेघसिंह, रघुनाथसिंह व सज्जनसिंह पुत्रगण चिमनसिंह ने उक्त डालू पुत्र चेता से लगान के बदले काश्त हेतु ली व उक्त भोमसिंह का 1/4 हिस्सा व मूलसिंह का 3/8 हिस्सा व मेघसिंह, रघुनाथसिंह व सज्जनसिंह का 3/8 हिस्सा था व उक्त हिस्से के अनुसार काश्त करते थे व लगान उक्त डालू पुत्र चेता को अदा करते रहे। जमीन गत खसरा नम्बर 218 रकबा 3 बिश्वा व गत खसरा नम्बर 219 रकबा 10 बीघा 6 बिश्वा वाके ग्राम इंडाली पहले नेता पुत्र नपाराम, मंगला पुत्र जीवा व ढालू व थाना पुत्र चेता की खातेदारी की जमीन थी व तत्कालिन ठिकाना से काश्त हेतु ली व उक्त भोमसिंह का 1/4 हिस्सा, उक्त मूलसिंह का 3/8 हिस्सा था व हिस्से के मुताबिक काश्त करते थे व लगान उक्त खातेदार नेता वगैरह को अदा करते थे। उक्तानुसार जमीन गत खसरा नम्बर 35, गत खसरा नम्बर 219 व गत खसरा नम्बर 218 कुआ वाके ग्राम इंडाली को उक्त भोमसिंह पुत्र जीवणसिंह, मुलसिंह पुत्र तेजसिंह व मेघसिंह, रघुनाथसिंह व सजनसिंह पुत्रगण चिमनसिह काश्त करते थे। इस जमीन में भोमसिंह का 1/4 हिस्सा व मुलसिंह का 3/8 हिस्सा व मेघसिंह, रघुनाथसिंह व सजनसिंह पुत्रगण चिमनसिह का 3/8 हिस्सा था। उक्त जमीन के खातेदारी हकुक नामान्तकरण संख्या 103 व नामान्तकरण संख्या 106 के आधार पर उक्त भोमसिह हिस्सा 1/4 व उक्त मूलसिंह पुत्र तेजसिंह हिस्सा 3/8 व रघुनाथ सिंह पुत्र चिमनसिंह हिस्सा 3/8 के नाम दर्ज किया गया व जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019 में कृषक कॉलम में उक्तानुसार इन्द्राज किया गया। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 के पूर्वज भोमसिंह पुत्र जीवणसिंह का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी नम्बर 5 के पिता मूलसिंह का 3/8 हिस्सा है व इस दावे में इसका कोई विवाद नहीं है। विवादित जमीन में रघुनाथसिंह का 1/8 हिस्सा व वादीया का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 14 सजनसिंह का 1/8 हिस्सा था लेकिन संयुक्त हिंदु परिवाद होने के कारण जमीन को शामिल में काश्त करते थे। नामान्तकरण संख्या 103 व 106 के आधार पर रघुनाथसिंह पुत्र चिमनसिंह के अकेले के नाम 3/8 हिस्से की खातेदारी हकुक के इन्द्राजात गलत दर्ज किये गये व गलत इन्द्राज की पुनरावर्ती होती रही। नामान्तरकरण संख्या 103 व 106 से रघुनाथसिंह के साथ वादिया व प्रतिवादी नम्बर 14 का नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया जाना चाहिए था। रघुनाथ सिंह व सजनसिंह व वादीया का संयुक्त हिंदु परिवार का बंटवारा सन 1998 में हुआ व बंटवारे में विवादित जमीन में से 3/8 हिस्से का भी बंटवारा कर लिया व अलग अलग काश्त करने लगे। उक्त बंटवारे में वादिया जमीन खसरा नम्बर 807 के बीच में अपने हिस्से की जमीन व खसरा नम्बर 163 के मध्य में अपने हिस्से की जमीन काश्त करने लगी। प्रतिवादी नम्बर 14 के जमीन खसरा नम्बर 806 बंटवारे में आई व प्रतिवादी नम्बर 7 लगायत 12 के पिता के हिस्से में जमीन खसरा नम्बर 807 में से जमीन आई। वादीया के हिस्से की जमीन में वादिया व प्रतिवादी नम्बर 13 ने कृषि उपज के लिए मकानात बना लिये व आबाद हैं। जमीन खसरा नम्बर 808 गै0मु0 कुआ में वादिया का 1/8 हिस्सा है। जमीन खसरा नम्बर 163 रकबा 1.14

12

है0, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 190 रकबा 0.1 है0, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.40 है0, हाल खसरा नम्बर 806 रकबा 0.30 है0, हाल खसरा नम्बर 807 रकबा 1.16 है0, हाल खसरा नम्बर 809 रकबा 0.72 है0 व गत खसरा नम्बर 218 के हाल खसरा नम्बर 808 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकिन कुआ में वादीया का 1/8 हिस्सा है इस कारण वादिया अपने 1/8 हिस्से की कोटीनेन्सी की घोषणा करवाने की अधिकारी है। वादीया अपने 1/8 हिस्से की जमीन पर काश्त करती आ रही है। वादीया को राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं थी। वादीया वृद्ध महिला है तथा अपने दत्तक पुत्र के साथ रहती है। प्रतिवादीगण नम्बर 06 से 12 ने गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में जमीन विक्रय करने बाबत कहने पर वादीया ने विवादित जमीन के राजस्व रिकार्ड की नकल ली तब वादीया को गलत रिकार्ड की जानकारी हुई। प्रतिवादीगण नम्बर 6 से 13 ने रिकार्ड दुरूस्ती के लिए साफ मना करने पर वादीया को यह वाद अपने हकुक की रक्षार्थ पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्तानुसार दावा पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को मय दावा प्रति वास्ते जबाव देही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 14 बावजूद तामिल के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 15 परफौर्मा पक्षकार होने पर उनकी जबावदेही बंद की गई। प्रतिवादी नम्बर 16 ने जबाव दावा के रूप में राजस्व रिकार्ड के अनुसार बंटवारा व रिकार्ड दुरूस्ती किया जा सकता है व राजस्व हानि नहीं को तो कोई एतराज नहीं होना आदेशिका में अंकित किया है। तत्पश्चात वादीया द्वारा साक्ष्य, सबूत अपना चीफ शपथ पत्र पेश किया व राजस्व रिकार्ड पर प्रदर्श डाले गये जो इस प्रकार से हैं प्रदर्श 1 मिशल हकीयत मौजा इंडाली सम्वत 1999, प्रदर्श 2 मिशल हकीयत मौजा इंडाली, प्रदर्श 3 जमाबंदी ग्राम इंडाली सम्वत 2012–15 प्रदर्श 4 जमाबंदी ग्राम इंडाली सम्वत 2012–15, प्रदर्श 5 जमाबंदी खतौनी ग्राम इंडाली सम्वत 2016–20, प्रदर्श 6 जमाबंदी ग्राम इंडाली सम्वत 2020–23, प्रदर्श 7 जमाबंदी ग्राम इंडाली सम्वत 2024–27, प्रदर्श 8 जमाबंदी सम्वत 2028–31, प्रदर्श 9 जमाबंदी सम्वत 2031–35, प्रदर्श 10 जमाबंदी सम्वत 2045–48, प्रदर्श 11 जमाबदी सम्वत 2057–78, प्रदर्श 12 मिलान क्षेत्रफल ग्राम इंडाली, प्रदर्श 13 आंशिक नक्शा ट्रेस सम्वत 1993, प्रदर्श 14 नक्शा ट्रेश 1990–91, प्रदर्श 15 नामान्तकरण ग्राम इंडाली, प्रदर्श 16 नामान्तकरण ग्राम इंडाली, प्रदर्श 17 नामान्तकरण ग्राम इंडाली, प्रदर्श 18 नामान्तकरण ग्राम इंडाली, प्रदर्श 19 नामान्तकरण ग्राम इंडाली, प्रदर्श 20 नामान्तकरण ग्राम इंडाली, प्रदर्श 21 जमाबंदी सम्वत 2069–72। हमने वाद पत्र में व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–21 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। जिसके अनुसार स्व0 चिमनसिंह के विधि वारिसान मेघसिंह, रघुनाथसिंह व सज्जनसिंह का वादी वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में से 3/8 हिस्सा होना चाहिए था परन्तु ऐसा ना होकर उक्त रिकार्ड में 2/3 हक हिस्सा स्व0 चिमनसिंह के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड

12

होना जाहिर है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार विवादित भूमि की गत खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 163, 187, 130, 191, 192, 790, 806, 807, 808, 809 कुल किता 10 कुल रकबा 5.91 है0 होना जाहिर है। निष्कर्ष – माननीय अदालतों का यह सुस्थापित सिंद्वात है कि पैतृक भूमि के इन्द्राजात में बिना किसी वैधानिक आदेश के कोई परिवर्तन नहीं हो सकता एव इस मामले में बिना किसी वैधानिक आदेश के परिवर्तन होना जाहिर है जो कानून तौर से सही नहीं है। इस संबध में 1991 आर आर डी पेज नम्बर 428 के दृशांत इस मामले में सही तौर से लागू होते हैं कि बिना सक्षम आदेश के पुस्तैनी भूमि के इन्द्राजात में परिवर्तन करके किसी खातेदार के हक समाप्त नहीं किये जा सकते। गैर कानून आदेश/ गलत राजस्व रिकार्ड को कभी भी दुरूस्त किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के संदर्भ में यह वाद स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम इंडाली तहत तहसील झुन्झुनू में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 163 रकबा 1.14 है0, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 190 रकबा 1.00 है0, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 806 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 807 रकबा 1.16 है0, खसरा नम्बर 809 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 808 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकिन कुआ के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुए वाद पत्र की मद संख्या 4 के मुताबिक दर हिस्सा 3/8 में से वादीया इमरती देवी पत्नी स्व0 मेघसिंह को 1/8 हक हिस्से का व प्रतिवादी नम्बर 7 से 13 को 1/8 हक हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 14 को 1/8 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदअनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैशल शुमार हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.03.2021 को टंकण करवाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

15

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर – 106 / 2017

उनवान

इमरती देवी बनाम सवाई सिंह वगै0

दावा बाबत – दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांकः– 23.03.2021

वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह बुडानिया एवं राज्य सरकार की ओर से श्री श्रवण कुमार सैनी जी.ए. उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 23.03.2021 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि ग्राम इंडाली तहत तहसील झुन्झुनू में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 163 रकबा 1.14 है0, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 190 रकबा 1.00 है0, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 806 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 807 रकबा 1.16 है0, खसरा नम्बर 809 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 808 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकिन कुआ के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुए वाद पत्र की मद संख्या 4 के मुताबिक दर हिस्सा 3/8 में से वादीया इमरती देवी पत्नी स्व0 मेघसिंह को 1/8 हक हिस्से का व प्रतिवादी नम्बर 7 से 13 को 1/8 हक हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 14 को 1/8 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	5	स्टाम्प वकालतनामा	00
स्टाम्प वकालतनामा	41	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिक	
योग	46		00

उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

हस्ताक्षर